खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोस्ले रेमिडिज लि., ए-14, पृष्पांजली, विकास मार्ग एक्टे., नई दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,39,03,850 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 42202506 से 52592890 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,03,904 (रुपए एक लाख तीन हजार नौ सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 19th October, 2009

No. F. 10(910)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7948.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay Remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,03,904 (Rs. One Lac Three Thousand Nine Hundred Four) only on the aggregate value of shares of Rs.10,39,03,850 for equity share certificates with distinctive Nos. 42202506 to 52592890 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (905)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7949.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोसलाईट इंडिया टेलीकाम प्रा. लि., सी-160,
जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा
जारी किए जाने वाले रुपए 6,52,39,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 4318214 से 6523900 है, पर लगने वाले
मुद्रांक शुल्क रुपए 65,239 (रुपए पैंसठ हजार दौ सौ उन्तालीस)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(905)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7949.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecon Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-ll0074 shall pay a consolidated stamp

कार्यालय मुख्य राजस्य नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2009

सं. फा. 10 (910)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7948.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के duty of Rs. 65,239 (Rs. Sixty Five Thousand Two Hundred Thirty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs.6,52,39,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 43,18,214 to 65,23,900 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (893)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7950.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स भारत संरचना वित्त कम्पनी लि., 1201–1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 600,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड, रिडिमेबल नन-कनवरटीबल टेक्सेबल बोण्डस जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 01 से 6000 (8.12% आईआईएफसीएल 2024 सीरीज-VII 2009–10) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 60,00,000 (रुपए साठ लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(893)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7950.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 60,00,000 (Rs. Sixty Lac) only on the aggregate value of Rs. 600,00,00,000 for unsecured redeemable Non-Convertible taxable 8.12% IIFCL 2024 (Series-VII) 2009-10 bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 01 to 6000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (897)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7945.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ग्यूटरमन इंडिया प्रा. लि., 205, सीए चैम्बरस, 18/12, डब्लू इ ए, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 16,68,98,970 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,99,59,846 से 3,66,49,742 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,66,899 (रुपए एक लाख छयासठ हजार आठ सौ निन्यानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(897)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7945.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guetermann India Private Limited, 205, CA Chambers, 18/12, WEA Karol Bagh, New Delhi-ll0005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,66,899 (Rs. One Lac Sixty Six Thousand Eight Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of Rs.16,68,98,970 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,99,59,846 to 3,66,49,742 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (787)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7946.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स हाण्डा एक्सप्रेस लोजिस्टीक्स इंडिया प्रा. लि., एम-87, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-11, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 21,70,00,000 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,71,60,001 से 3,88,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,17,000 (रुपए दो लाख सत्तरह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(787)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7946.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Honda Express Logistics India Private Limited, M-87, Ground Floor, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-ll0048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2,17,000 (Rs. Two Lac Seventeen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.21,70,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,71,60,001 to 3,88,60,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (906)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7947.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोसलाईट इंडिया टेलीकाम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 18,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 11800 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 18 (रुपए अटठारह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(906)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7947.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-ll0 074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.18 (Rs. Eighteen) only on the aggregate value of shares of Rs.18,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10001 to 11800 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (907)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7942.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोसलाईट इंडिया टेलीकाम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेशन, नई दिल्ली-110 074, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,30,64,130 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11,801 से 43,18,213 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 43,065 (रुपए तैंतालीस हजार पैंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(907)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7942.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-llo 074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 43,065 (Rs. Forty Three Thousand Sixty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,30,64,130 for equity share certificates with distinctive Nos. 11,801 to 43,18,213 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (909)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/7943.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी

निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कनाट प्लाजा रेस्टोरेन्ट्स प्रा. लि., पन्द्रहवीं मंजिल, मोहन देव, 13, टोल्सटोय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 12,12,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,70,001 से 2,91,200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,21,200 (रुपए एक लाख इक्कीस हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(909)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7943.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008; the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Connaught Plaza, Restaurants Private Limited, 15th Floor, Mohan Dev, 13, Tolstoy Mary, New Delhi-llo 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,21,200 (Rs. One Lac Twenty One Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.12,12,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,70,001 to 2,91,200 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (899)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7944.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेशनल केपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड, प्रथम मंजिल, कोर-IVB, इंडिया हेबीटेट सेन्टर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 134,90,00,000 (रूपये 63,80,00,000 बैंकिंग कम्पनीज को और रुपये 71,10,00,000 नन बैंकिंग कम्पनीज को और रुपये 71,10,00,000 नन बैंकिंग कम्पनीज को और रुपये 71,10,00,000 नन बैंकिंग कम्पनीज को और रुपये 71,10,00,000 कि पृथक संख्या 0001 से 1349 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 8,38,600 (रुपए आठ लाख अड़तीस हजार छ: सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(899)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7944.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. National Capital Region Planning Board, 1st Floor, Core-IVB, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-Il0 003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,38,600 (Rs. Eight Lac Thirty Eight Thousand Six Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.134,90,00,000 (Rs. 63,80,00,000 to Banking companies and Rs. 71,10,00,000 to Non-Banking